न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
बइजलास श्रीमती रीना आर.ए.एस.
अनुवान जस्सुराम आदि बनाम नवीनकुमार आदि
दावा अन्तर्गत धारा 88,188,53 राज0 काश्तकारी अधिनियम
दावा सं. 116/2020
निर्णय दिनांक 05.03.2021

1. जस्सुराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासीगण गांव सोमासी तहसील व जिला चूरू।
2. श्रीमति रूकमणी पत्नि स्व. निराणाराम जाति जाट निवासीगण गांव सोमासी तहसील व जिला चूरू।
3. देबूराम पुत्र स्व. निराणाराम जाति जाट निवासीगण गांव सोमासी तहसील व जिला चूरू।
4. मनीराम पुत्र स्व. निराणाराम जाति जाट निवासीगण गांव सोमासी तहसील व जिला चूरू।
5. लालचन्द पुत्र स्व. निराणाराम जाति जाट निवासीगण गांव सोमासी तहसील व जिला चूरू।
6. नागरमल पुत्र स्व. निराणाराम जाति जाट निवासीगण गांव सोमासी तहसील व जिला चूरू।
7. सुन्दरदेवी पत्नि स्व. मोहनराम जाति जाट निवासीगण गांव सोमासी तहसील व जिला चूरू।
8. जगदीश पुत्र स्व. मोहनराम जाति जाट निवासीगण गांव सोमासी तहसील व जिला चूरू।
9. मन्जू पुत्री स्व. मोहनराम जाति जाट निवासीगण गांव सोमासी तहसील व जिला चूरू।
10. किरण पुत्री स्व. मोहनराम जाति जाट निवासीगण गांव सोमासी तहसील व जिला चूरू।
11. कौशल्या पुत्री स्व. मोहनराम जाति जाट निवासीगण गांव सोमासी तहसील व जिला चूरू।
12. प्रदीप पुत्र स्व. मोहनराम जाति जाट निवासीगण गांव सोमासी तहसील व जिला चूरू।

—वादीगण—

बनाम

1. नवीन कुमार पुत्र तोलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी गाव सिधमुख तहसील राजगढ जिला चूरू।
2. रामप्रताप पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी रेडी भूरावास तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, सरदारशहर जिला चूरू।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति –

1. श्री भीमनाथ सिद्ध एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. श्री कालीचरण शर्मा एडवोकेट वास्ते प्रतिवादीगण सं0 01 ता 02
3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी संख्या 03

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं कि वादीगण सं. 1 से 12 एवं प्रतिवादी सं. 3 स्व. धन्नाराम के जायज वारीस व कानूनी उतराधिकारी हैं जो मूल रूप से गॉव भामासी, तहसील व जिला चूरू के निवासीगण हैं व काश्त पेशा लोग हैं। रोही गॉव देवासर में वादीगण सं. 1 जस्सूराम एव वादीगण सं. 2 से 6 के पति व पिता स्व. निराणाराम एवं वादीगण सं. 7 से 12 के पति व

पिता स्व. मोहनराम एवं प्रतिवादी सं. 3 के पिता ताजूराम के नाम से संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि साबिका खं. नं. 32 तादादी 55 बीघा 12 बिश्वा ,खं. न. 133 तादादी 14 बीघा 4 बिश्वा कुल खसरा 2 कुल तादादी 69 बीघा 16 बिश्वा रोही गॉव देवासर,तहसील सरदारशहर में स्थित चली आ रही थी। उपरोक्त कृषि भूमि में वादी सं. 1 एवं वादीगण सं. 2 से 6 के पति व पिता नारायणराम व वादीगण सं. 7 से 12 के पति व पिता मोहनराम का 2/3 हिस्सा एव प्रतिवादी सं. 3 के पिता आसाराम का 1/3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त का अविभाजित चला आ रहा था, जिस भूमि का खातेदार हिस्सेदारों के बीच कभी बॅटवारा नहीं हुआ और संयूक्त रूप से ही अपने– अपने हिस्से के अनुसार काश्त करते आए थे और संयुक्त रूप से ही कब्जा हैं।

खातेदार निराणाराम का स्वर्गवास हाो चुका हैं, जिसके जायज वारिस व कानूनी उपराधिकारी वादीगण सं. 2 से 6 हैं और इसी प्रकार खातेदार मोहनराम का भी स्वर्गवास हो गया हैं, जिसके कानूनी उतराधिकारी व जायज वारिसान वादीगण सं. 7 से 12 हैं। यह भूमि सभी हिस्सेदारों की अविभाजित कृषि भूमि हैं जिसका हिस्सेदारों के बीच आज तक विभाजन नहीं हैं, इसलिए वादीगण सं.1 व 2 से 6 तथा 7 से 12 इस कुल कुषि भूमि में अपने नाम से 2/3 हिस्सा भूमि की खातेदारी की घोषणा अपने नाम से करवाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अपना नाम अंकित कराने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी सं. 3 पिछले कुछ समय से वादीगण के परिवार से मनमुटाव व नाराजगी रखता हैं इस कारण प्रतिवादी सं. 3 ने बिना वादीगण की जानकारी व सहमति के इस वादगत भूमि में से अपने नाम की 1/3 हिस्सा भूमि का एक बैनामा दिनांक 16.10.20 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से सब रजिस्ट्रार सरदारशहर के समक्ष पंजीकृत करा दिया। अब प्रतिवादी सं. 1 व 2 इस बैनामा के आधार पर इस वादगत अविभाजित संयुक्त खातेदारी की कृषि पर अपनी इच्छा अनुसार कब्जा करना चाहते हैं और अपने नाम से इस बैनामें के आधार पर इंतकाल दर्ज कराकर खातेदारी प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 वादीगण के परिवार जाति समाज एवं गांव के नहीं हैं, और दूसरी तहसील के अजनबी लोग हैं। इसलिए उनको कानून के अनुसार वादीगण के संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि के किसी विशेष भाग पर बिना विभाजन कराए कब्जा करने अथवा दाखिल होने का कोई अधिकार नहीं हैं।

राज. काश्तकारी अधिनियम कें प्राविधानों के अनुसार कानून का यह सर्वमान्य सिद्वान्त हैं कि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक हिस्सेदार का कब्जा विभाजन से पूर्व माना गया हैं। इसलिए बिना विभाजन कराए प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को इस वादगत भूमि पर काबिज होने व प्रवेश करने का अधिकार नहीं हैं, परन्तु प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने सरेआम धमकि दी हैं कि इस वादगत कृषि भूमि में से गाव बिल्यू बास रामपुरा से मेहरासर उपाधियान तक उतर से दक्षिण कटानी रास्ता चलता हैं, इसलिए हम उस रास्ते से पूर्व की तरफ की सम्पूर्ण भूमि व शेष रास्ते से

लगती हुई पश्चिम की तरफ की भूमि पर मौके पर कब्जा करेगे, यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में कामयाब हो गए हो वादीगण को अपूर्तीय क्षति होगी तथा दावा पेश करने का मकसद समाप्त हो जाएगा और शेष भूमि के लिए आवागमन का कोई रास्ता मौके पर नहीं रहेगा, जिससे वादीगण को भारी असुविधा होगी। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिए डिक्री चिरस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाना आवश्यक हैं कि वो वादगत कृषि पर बैनामा दिनांक 16.10.20 के आधार पर बिना विधिवत विभाजन कराए एवं वादगत भूमि पर प्रवेश नहीं करें, वादीगण के कब्जा में दखल अंदाजी नहीं करें और न वादीगण को बेदखल करे। वादगत कृषि भूमि खं. नं. 32 तादादी 14.0612 हैक्टयर एवं खं. नं. 133 तादादी 3.5912 हैक्टयर रोही गांव देवासर तहसील सरदारशहर में वादी सं. 1 का 2/9 हिस्सा वादीगण सं. 2 से 6 का बहिस्सा बराबर 2/9 हिस्सा वादीगण 7 से 12 बहिस्सा बराबर 2/9 हिससा का कानून के अनुसार विधिवत विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में किया जाकर अलग–अलग खाता कायम किया जाकर अलग ही लगान कायम करने कि डिक्री की जावें।

वादीगण ने प्रतिवादी को काफी कहा व कहलवाया कि वादगत भूमि का अपने–अपने हिस्सों के अनुसार विधि अनुसार सक्षम न्यायालय से विभाजन कराए बिना, वादगत भूमि के किसी हिस्से पर प्रवेश नहीं करें व वादीगण को बेदखल नहीं करें परन्तु प्रतिवादीगण ने वादीगण को बात की कोई परवाह नही कि और आखिरकार दिनांक 25.10.20 को मानने से साफ इन्कार कर दिया। इसलिए यही दावे का कारण हैं और दावे का आधार वादीगण को वादगत कृषि भूमि के हिस्सेदार काश्तकार होने एव वादगत भूमि संयुक्त कब्जा काश्त की अविभाजित भूमि होने से हर समय हासिल हैं।

इस प्रकार वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि घोषित किया जावें कि कृषि भूमि साबिका खं. नं. 32 तादादी 55 बीघा 12 बिश्वा वर्तमान खं. नं. 32 तादादी 14.0612 हैक्टेयर एव साबिका खं. नं. 133 तादादी 14 बीघा 4 बिश्वा वर्तमान खं. नं. 133 तादादी 3.5912 हैक्टयर हैं रोही गाूव देवासर तहसील सरदारशहर का वादी संख्या 1 का 2/9 हिस्सा, वादीगण सं. 2 से 6 बहिस्सा बराबर 2/9 हिस्सा, वादीगण सं. 7 से 12 बहिस्सा बराबर 2/9 हिस्सा रोही गाूव देवासर तहसील सरदारशहर संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की अविभाजित कृषि भूमि हैं और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें तथा कृषि भूमि खं. नं. 32 तादादी 14.0612 हैक्टयर एवं खं. नं. 133 तादादी 3.5912 हैक्टयर रोही गांव देवासर तहसील सरदारशहर का पक्षकारों का हिस्सों के अनुसार वास्तविक विभाजन करकर अलग खाता कायम कर अलग लगान कायम किया जावें एवं जरिये डिक्री चिरस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को वर्जित किया जावें। कि वादगत कृषि भूमि वर्तमान खं. नं. 32 तादादी 14.0612 हैक्टयर एव खं. नं. 133 तादादी 3.5912 हैक्टयर रोही गॉव देवासर, तहसील सरदारशहर के किसी भी हिस्से व पासे पर बिना विधिवत विभाजन कराए, प्रयास नहीं करें और न वादीगण को बेदखल करें।

वादीगण की ओर से वाद न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दिनांक 27.10.2020 को दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 02 की ओर से श्री कालीचरण शर्मा, एडवोकेट उपस्थित हुए और दिनांक 08.01. 2021 को वकील वादीगण–प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2) सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वाद में संयोजित बतौर प्रतिवादी संख्या 03 ने अपने हिस्से की जमीन प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र स्थानान्तरित कर दी हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 03 को बतौर प्रतिवादी संख्या 03 पक्षकारान हटाया जावें, प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में वकील प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 03 को वाद हाजा से बतौर पक्षकार हटाये जाने के आदेश दिनांक 08.01.2021 को पारित किये गये । दिनांक 02.03.2021 को उभय पक्षकारान स्वयं हाजिर अदालत आयें एवं वादीगण की पहचान श्री भागीरथ सिद्ध एडवोकेट द्वारा व प्रतिवादीगण की पहचान श्री कालीचरण शर्मा, एडवोकेट द्वारा की गई। प्रतिवादी संख्या 04 ने जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार प्रकरण में राज्यहित निहित नहीं हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार वादीगण सं0 1 ता 12 एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव एवं समाज के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष बैठकर अपने आपसी मतभेद कतई मिटा लिये हैं। पक्षकारान मुकदमा हाजा मुकदमा में आगे कार्यवाही नहीं चलाना चाहते हैं। दावा हाजा का फैसला आपसी राजीनामा के आधार पर करवाना चाहते हैं। पक्षकारान मुकदमा हाजा ने आपसी मतभेद भुलाकर मौके पर माप करवा कर वादगत कृषि भूमि हाल ख0 नं0 32 तादादी 55 बीघा 12 बिश्वा, ख0 नं0 133 तादादी 14 बीघा 4 बिश्वा, कुल किता 2 तादादी 69 बीघा 16 बिश्वा वाके रोही मौजा देवासर तहसील सरदारशहर की भूमि का मौके पर स्वैच्छया बंटवारा कर लिया है। वाद पक्षकारान द्वारा आपसी राजीनामा से किये बंटवारा को नीचे अंकित किया जा रहा हैः–

(क) हिस्सा भूमि वादी सं0 1 ::– कृषि भूमि ख0 नं0 32 तादादी 55 बीघा 12 बिश्वा वाके रोही देवासर की भूमि में से दक्षिणी–पश्चिमी पासे की 15 बीघा 11 बिश्वा भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शा में हरा रंग से दर्शाया गया है।

(ख) हिस्सा भूमि वादी सं0 2 ता 6 ::– कृषि भूमि ख0 नं0 32 तादादी 55बीघा 12 बिश्वा वाके रोही देवासर की भूमि में से दक्षिणी–पूर्वी पासे की 15 बीघा 10 बिश्वा भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है।

(ग) हिस्सा भूमि वादी सं0 7 ता 12::– कृषि भूमि ख0 नं0 32 तादादी 55बीघा 12 बिश्वा वाके रोही देवासर की भूमि में से उतरी–पश्चिमी पासे की 15 बीघा 10 बिश्वा भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शा में नीला रंग से दर्शाया गया है।

(घ) हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 ::– कृषि भूमि ख0 नं0 32 तादादी 55 बीघा 12 बिश्वा वाके रोही देवासर की भूमि में से उतरी पासे की 9 बीघा 1 बिश्वा भूमि एवं ख0 नं0 133 तादादी 14 बीघा 4 बिश्वा वाके रोही देवासर में से उतरी–पूर्वी पासे की 8 बीघा 04 बिश्वा भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शा में पीला रंग से दर्शाया गया है।

(ड़) हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 2 ::– कृषि भूमि ख0 नं0 133 तादादी 14 बीघा 4 बिश्वा वाके रोही देवासर में से दक्षिणी–पूर्वी पासे की 6 बीघा भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शा में भूरा रंग से दर्शाया गया है।

अतः हम वाद पक्षकारान ने राजीनामा स्वैच्छया स्वस्थ चित से बिना किसी जबरन या दबाव के मौजीज लोगों के समक्ष करके मौके पर माप करवाकर कब्जा ने कर लिया है। इसलिए राजीनामा के मुताबिक वादगत भूमि का मुश्तरका खाता तकसीम करके खाता विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित कर राजस्व अभिलेखों एवं नक्शा में दुरूस्ती किये जाने को प्रतिवादी सं0 3को आदेशित किये जाने में वाद पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं हैं। बहस पक्षकारान सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि राजीनामा के अनुसार दावा डीक्री किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा भी सहमति जाहिर की गई। उक्त दावा के तथ्यों का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर दोनो पक्षों को सुना गया और राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन करने पर राजीनामा के आधार पर निर्णित करना उचित समझती हूं एवं वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

आदेश

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि में से वादी सं0 1 के हिस्से में कृषि भूमि ख0 नं0 32 तादादी 55 बीघा 12 बिश्वा वाके रोही देवासर की भूमि में से दक्षिणी–पश्चिमी पासे की 15 बीघा 11 बिश्वा भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शा में हरा रंग से दर्शाया गया है, वादी **सं0 2 ता 6** दोनों के संयुक्त हिस्से में कृषि भूमि ख0 नं0 32 तादादी 55 बीघा 12 बिश्वा वाके रोही देवासर की भूमि में से दक्षिणी–पूर्वी पासे की 15 बीघा 10 बिश्वा भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया हैं, वादी सं0 **7 ता 12** दोनो के संयुक्त हिस्से में कृषि भूमि ख0 नं0 32 तादादी 55 बीघा 12 बिश्वा वाके रोही देवासर की भूमि में से उतरी–पश्चिमी पासे की 15 बीघा 10 बिश्वा भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शा में नीला रंग से दर्शाया गया हैं, **प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में** कृषि भूमि ख0 नं0 32 तादादी 55 बीघा 12 बिश्वा वाके रोही देवासर की भूमि में से उतरी पासे की 9 बीघा 1 बिश्वा भूमि एवं ख0 नं0 133 तादादी 14 बीघा 4 बिश्वा वाके रोही देवासर में से उतरी–पूर्वी पासे की 8 बीघा 04 बिश्वा भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शा में पीला रंग से दर्शाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 02 के हिस्से में कृषि भूमि ख0 नं0 133 तादादी 14 बीघा 4 बिश्वा वाके रोही

देवासर में से दक्षिणी–पूर्वी पासे की 6 बीघा भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शा में भूरा रंग से दर्शाया गया है के अनुसार खातेदारी एवं इसी अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किया जावे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा एनेक्स्र 'क' निर्णय का भाग रहेगा। उपरोक्त निर्णय एवं आदेशानुसार प्रतिवादी सं0 04 को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे एवं निर्णय आदेश की पालना करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी किया जाता है।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर(चूरू)

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर(चूरू)

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर जिला चूरू
अनुवान जस्सुराम आदि बनाम नवीनकुमार आदि
दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 आर. टी. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री भीमनाथ सिद्ध एडवोकेट मिनजानिब मुदई हाजरी श्री कालीचरण शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुदायलाह पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि में से वादी सं0 1 के हिस्से में कृषि भूमि ख0 नं0 32 तादादी 55 बीघा 12 बिश्वा वाके रोही देवासर की भूमि में से दक्षिणी–पश्चिमी पासे की 15 बीघा 11 बिश्वा भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शा में हरा रंग से दर्शाया गया है, वादी सं0 **सं0 2 ता 6** दोनों के संयुक्त हिस्से में कृषि भूमि ख0 नं0 32 तादादी 55 बीघा 12 बिश्वा वाके रोही देवासर की भूमि में से दक्षिणी–पूर्वी पासे की 15 बीघा 10 बिश्वा भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया हैं, वादी सं0 **7 ता 12** दोनो के संयुक्त हिस्से में कृषि भूमि ख0 नं0 32 तादादी 55 बीघा 12 बिश्वा वाके रोही देवासर की भूमि में से उतरी–पश्चिमी पासे की 15 बीघा 10 बिश्वा भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शा में नीला रंग से दर्शाया गया हैं, **प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में** कृषि भूमि ख0 नं0 32 तादादी 55 बीघा 12 बिश्वा वाके रोही देवासर की भूमि में से उतरी पासे की 9 बीघा 1 बिश्वा भूमि एवं ख0 नं0 133 तादादी 14 बीघा 4 बिश्वा वाके रोही देवासर में से उतरी–पूर्वी पासे की 8 बीघा 04 बिश्वा भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शा में पीला रंग से दर्शाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 02 के हिस्से में कृषि भूमि ख0 नं0 133 तादादी 14 बीघा 4 बिश्वा वाके रोही देवासर में से दक्षिणी–पूर्वी पासे की 6 बीघा भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शा में भूरा रंग से दर्शाया गया है के अनुसार खातेदारी एवं इसी अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किया जावे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा एनेक्स्र 'क' निर्णय का भाग रहेगा। उपरोक्त निर्णय एवं आदेशानुसार प्रतिवादी सं0 04 को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे एवं निर्णय आदेश की पालना करे।

.....बीज.....
.....मुबलि .....बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ..... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 03 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा .....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	06	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प वजह सबूत	02	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिष्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	08	00	मिजान	01	00